न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)

वाद संख्या :– 02/91/2015

रामहेत बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 26.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 01.06.2009 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 33/0.46, 34/0.83, 37/0.04, 36/1701/0.15, 36/1702/0.11, 106/0.09, 108/0.13, 98/0.09, 99/0.17, अ107/0.16, 108/0.13, 109/0.07, 110/0.09 है. वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 24.08.2009 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी में होना साबित नहीं है जबकि आराजी खाता संख्या 1 में दर्ज राजकीय सिवायचक भूमि है। प्रार्थी उक्त आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया प्रार्थी की साबिक व हाल रिकॉर्ड में खातेदारी साबित नहीं होने से प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं से प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल अस्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 33/0.46, 34/0.83, 37/0.04, 36/1701/0.15, 36/1702/0.11, 106/0.09, 108/0.13, 98/0.09, 99/0.17, अ107/0.16, 108/0.13, 109/0.07, 110/0.09 है. वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 01.06.2009 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)